तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **रेफरेंस / एलआर / 2006 / 424 / जयपुर** **सरकार बनाम चन्द्रभान**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकलपीठ
श्री हरिशंकर गोयल, सदस्य

उपस्थित :–
श्री लोकेन्द्र सिंह राणावात, उप राज. अभिभाषक प्रार्थी
श्री योगेन्द्र सिंह, अभिभाषक अप्रार्थी

––

दिनांक : 17–10–2019

आदेश

1. यह रेफरेंस अतिरिक्त जिला कलक्टर (चतुर्थ), जयपुर ने राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा–82 के अन्तर्गत अपने निर्णय दिनांक 26–10–2005 द्वारा अनुशंषा करते हुए मण्डल को प्रेषित किया है।

2. संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार से हैं कि तहसीलदार, फुलेरा द्वारा निवेदन किया गया कि सेटलमेन्ट खतौनी ग्राम महेशवास तहसील फुलेरा सम्वत 2011–2029 के आराजी खसरा नम्बर–454 रकबा 153 बीघा 2 बिस्वा किस्म गैर मुमकिन नला सिवायचक बिना लगानी अंकित है उक्त भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी संवत 2058 से 2061 में चन्द्रभानसिंह, नरेन्द्रसिंह, मनोहरसिंह, गुमानसिंह, धारासिंह पिसरान बाबूलाल पुष्पाकंवर, शिमला कंवर सुलोचनाकंवर, ममता कंवर पुत्रियान बाबूलाल धनो कंवर बेवा बाबूलाल जाति बडवा के नाम खाता संख्या 126 खसरा नम्बर–126 खसरा नम्बर–454/1/1 रकबा 15 बीघा किस्म बारानी 3 दर्ज है। उक्त भूमि जरिये नामान्तरकरण संख्या–325 से बाबूलाल पुत्र बालजी जाति बडवा निवासी महेशवास जरिये आबंटन दिनांक 25–5–1968 के द्वारा दर्ज है, जो बिल्कुल गलत है। उक्त भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा–16 एवं अधिनियम की धारा 88 में प्रदत्त प्रावधानों के अनुसार प्रतिबंधित भूमि है तथा विवादित भूमि की किस्म गैर मुमकिन नला होने के कारण इस भूमि का आवंटन नहीं किया जा सकता था। आवंटन विधि विरूद्ध होने के कारण खातेदारी अधिकार भी विधि विरूद्ध है। उक्त आवंटन डी0बी0 सिविल जनहित याचिका सं0 1536/2003 उनवानी अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राजस्थान

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>रेफरेंस / एलआर / 2006 / 424 / जयपुर</u>** **सरकार बनाम चन्द्रभान**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 02–08–2004 में दिए गए निर्देशों के विपरीत है। अतः विवादित भूमि को गैर मुमकिन नला दर्ज करने के आदेश प्रदान किए जावें। प्रार्थना पत्र पेश होने पर अधीनस्थ न्यायालय ने इसे दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को नोटिस जारी किए। बाद सुनवाई अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 26–10–2005 द्वारा यह रेफरेंस मण्डल को प्रेषित किया है। 3. बहस उभयपक्ष सुनी गयी। 4. योग्य उप राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में रेफरेन्स में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 88 के अनुसार समस्त नदियां, नाले, झील और तालाब आदि राज्य सरकार के स्वामित्व की है, जिसका आवंटन/नियमन किया जाना नियम विरूद्ध है। विवादित भूमि की किस्म गैर मुमकिन नला होने के कारण उक्त आवंटन डी0बी0 सिविल जनहित याचिका सं0 1536/2003 उनवानी अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 02–08–2004 के परिपेक्ष्य में अविधिक है। अतः रेफरेंस को स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को किया गया आवंटन व इसके आधार पर राजस्व अभिलेख में किए गए अंकन को निरस्त किया जाकर भूमि को पूर्व की भांति गैर मुमकिन नला दर्ज करने के आदेश प्रदान किए जावें। 5. विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस का जवाब देते हुये कथन किया कि माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय **''अब्दुल रहमान''** में आदेश दिया गया था कि दिनांक 15–8–1947 की स्थिति के अनुसार पानी के बहाव वाले क्षेत्र की स्थिति बहाल की जाती है। इस प्रकरण में राज्य सरकार ने दिनांक 15–8–1947 की स्थिति के बारे में कोई रिकार्ड पेश नहीं किया है इसलिये रेफरेन्स निरस्त किये जाने योग्य है। उन्होंने अपने तर्को के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये :– **(i) RRT-2018(1) Page-134** **(ii) RRD- 2017 Page- 173** **(iii) रेफरेन्स नम्बर–2236/2007 में निर्णय की प्रति.** 6. हमने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>रेफरेंस / एलआर / 2006 / 424 / जयपुर</u>** **सरकार बनाम चन्द्रभान**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	पर मनन किया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया एवं प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का आदरपूर्वक परिशीलन किया। 7. प्रश्नगत रेफरेंस में राजस्व अभिलेख का अवलोकन किया गया। सेटलमेन्ट खतौनी ग्राम महेशवास तहसील फुलेरा सम्वत 2011–2029 के आराजी खसरा नम्बर–454 रकबा 153 बीघा 2 बिस्वा किस्म **''गैर मुमकिन नला सिवायचक बिना लगानी''** अंकित है उक्त भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी संवत 2058 से 2061 में चन्द्रभानसिंह, नरेन्द्रसिंह, मनोहरसिंह, गुमानसिंह, धारासिंह पिसरान बाबूलाल पुष्पाकंवर, शिमला कंवर सुलोचनाकंवर, ममता कंवर पुत्रियान बाबूलाल धनोप कंवर बेवा बाबूलाल जाति बड़वा के नाम खाता संख्या 126 खसरा नम्बर–126 खसरा नम्बर–454/1/1 रकबा 15 बीघा किस्म बारानी 3 दर्ज है। उक्त भूमि जरिये नामान्तरकरण संख्या–325 से बाबूलाल पुत्र बालजी जाति बड़वा निवासी महेशवास जरिये आबंटन दिनांक 25–5–1968 के द्वारा दर्ज है, जो बिल्कुल गलत है। चूँकि राजस्व अभिलेख के अनुसार विवादित भूमि की किस्म गैर मुमकिन नला होना स्पष्ट है जो कि जलस्त्रोत की भूमि है तथा सार्वजनिक प्रयोजनार्थ उपयोग में आती है तथा विवादित भूमि भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 88 के अन्तर्गत राज्य सरकार के स्वामित्व की भूमि है एवं उक्त भूमि का आवंटन राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत वर्जित श्रेणी में आने के कारण राजस्थान भू राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन नियम, 1970 के नियमों के अन्तर्गत आवंटन/नियमन योग्य नहीं है एवं उक्त भूमि पर विपक्षीगण को खातेदारी अधिकार भी प्रोद्भूत नहीं होते है तथा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने डी0बी0 सिविल जनहित याचिका सं0 1536/2003 उनवानी अब्दुल रहमान बनाम सरकार में निर्णय दिनांक 02–08–2004 पारित करते हुए नाला, नदी, तालाब व नाड़ी इत्यादि की भूमियों खातेदारी में दर्ज होने पर उसे निरस्त करने की कार्यवाही के आदेश प्रदान किए है। अप्रार्थीगण के विद्वान अभिभाषक के द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त इस प्रकरण पर लागू नहीं होते हैं क्योंकि इस प्रकरण के तथ्य मेल नहीं खाते हैं। उपरोक्त विधिक स्थिति के परिपेक्ष्य में हम राज्य	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>रेफरेंस / एलआर / 2006 / 424 / जयपुर</u>** **सरकार बनाम चन्द्रभान**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	सरकार की ओर से प्रस्तुत रेफरेंस को स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण के पक्ष में किए गए आवंटन आदेश को निरस्त कर विवादित भूमि की किस्म पूर्व की भांति गैर मुमकिन नला दर्ज किया जाना उचित समझते है। 8. फलस्वरूप यह रेफरेन्स स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी के पक्ष में किया गया आवंटन इसके आधार पर आदिनांक तक राजस्व अभिलेख में किए गए अंकन को निरस्त किया जाता है तथा विवादित भूमि को सिवायचक दर्ज कर उसकी किस्म गैर मुमकिन नला के रूप में राजस्व रिकार्ड में अभिलिखित करने के आदेश दिये जाते है। 9. आदेश की सूचना उप राजकीय अभिभाषक को दी जावे। आदेश की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख नियमानुसार भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णीत इन्द्राज की जाकर अभिलेखागार में भिजवाई जावे। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(हरिशंकर गोयल)** **सदस्य**	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **रेफरेंस / एलआर / 2006 / 424 / जयपुर** **सरकार बनाम चन्द्रभान**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए